पत्रांकः–14 / डी0एल0ए0 (मार्गदर्शन)–06 / 2023–69 / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता, बिहार।
E-MAIL **सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी**
–सह–सक्षम प्राधिकार भूमि अर्जन (CALA), बिहार।

पटना–15, दिनांकः– 20/01/20

विषयः– **लोकहित में विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु की जा रही भू–अर्जन कार्रवाई में याचित मार्गदर्शन के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु विभिन्न भू–अर्जन अधिनि (मुख्यतः–भू–अर्जन अधिनियम, 2013, एन0एच0 अधिनियम, 1956, रेलवे विशेष अधिनियम, 2008) के सुसं प्रावधानों के तहत भूमि अर्जन की कार्रवाई की जाती है। इस हेतु उक्त अधिनियमों में भू–अर्जन की प्रक्रिया संबंध में विस्तृत प्रावधान निरूपित है। साथ ही, राजस्व विभाग द्वारा तत्संबंधित नियमावली / परिपत्र / अधिसू / संकल्प / पत्र / आदेश इत्यादि के माध्यम से समय–समय पर यथोचित दिशानिदेश दिये गये हैं।

2–इस संबंध में विभिन्न जिलों से कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन की अपेक्षा संबंधित पत्र प्राप्त रहें है। उक्त पत्रों की जाँच / समीक्षा के क्रम में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि भू–अर्जन अधिनियमों तत्संबं नियमावली / परिपत्र / अधिसूचना / संकल्प / पत्र / आदेश इत्यादि के माध्यम से समय–समय पर नि दिशानिदेशों का अध्ययन जिला द्वारा नहीं किया गया है एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा विभाग स्तर से की गयी कतिपय मामलों में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी स्तर से सीधे पत्र प्रेषित कर मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है, कि स्थापित नियमों के विपरीत है एवं समय की बर्बादी मात्र है।

3–वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु राज्यान्त भू–अर्जन की कार्रवाई में संगत अधिनियमों के साथ–साथ विभाग द्वारा निर्गत तत्संबंधित नियमावली / परिपत्र अधिसूचना / संकल्प / पत्र / आदेश इत्यादि का समुचित अवलोकन / अध्ययन कर लेना श्रेयस्कर होगा। तदोपर यदि किसी बिन्दु पर संशय की स्थिति में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो स्पष्ट रूप से इंगित करते समाहर्त्ता स्तर से ही पत्र के माध्यम से उक्त की माँग किया जाना उचित समझा जा सकता है।

सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

विश्वासभाजन,

18/1/2025

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 69 / रा0, **पटना, दिनांकः–** 20/01/2

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी विभागीय सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/2025

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 69 / रा0, **पटना, दिनांकः–** 20/01/2

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय बेवसाइट पर यथास्थान किये जाने हेतु प्रेषित।

18/1/2025

अपर मुख्य सचिव।